न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 56/2017
आरसीएमएस नं. 2016/187

1. साहबराम पुत्र अरजन आयु 43 वर्ष जाति नायक निवासी 10 एम.डी. ग्राम पंचायत 13 एम.डी. तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।
2. कमलादेवी पुत्री अरजन आयु 48 वर्ष पत्नी पूर्णराम जाति नयक निवासी रामसिंहपूर तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. पृथ्वीराज
2. बद्रीप्रसाद
3. औमप्रकाश
4. महावीर प्रसाद

पुत्रगण ख्यालीराम जाति जाट निवासीगण पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.05.2016
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 142/2014 बअनवान साहबराम आदि बनाम पृथ्वीराज अदि

श्री बलवीर सिह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक – 8.9.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया जिसमें कथन कियाकि उनके पूर्वज अरजन के नाम चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. में कुल 2.0870 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में थी। अरजन की जाती नायक उपजाति थोरी थे जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं। प्रतिवादीगण ने प्रार्थीगण के पिता से तथ्य छुपाते हुए बेईमानी से प्रगनत भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपने पक्ष में बेयनमा तहरीक व तकमील करवा लिया जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पिता को नहीं दी। प्रार्थीगण के पिता अर्जन को धोखे में रखते हुए उनके द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित दिखलाकर बैयनामा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में बैयनामा व अन्तरण व इन्तकाल प्रारम्भतः शून्य है, जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के प्रावधानों के विपरीत है। शून्य दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीगण व प्रतिवादी सं0 1 से 3 को प्रश्गनत भूमि के सबंध में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थीगण के पिता ने कभी भी ईसाई धर्म ग्रहण नही किया है न ही उनकी ईसाई धर्म में कोई आस्था थी। प्रार्थीगण उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण इस भूमि को रहन बेय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने हेतु प्रयासरत हैं एवं भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने करना चाहते हैं यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा जारी की जावे तथा तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को उक्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त किया जावे।

2 अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि प्रश्गनत बैयनामा 1970 का है इतने वर्ष बाद प्रार्थी वाद लाने का अधिकारी नहीं है। धारा 42 व धारा 175 की मियाद निकल चुकी है। आज मौका पर अप्रार्थीगण भूमि पर काबिज हैं तथा रिकार्डेड खातेदार है भूमि बैंक के रहन रखी हुई है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत बैयनामे की पहले से ही जानकारी है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन नही किया व ना ही उनको कोई विश्लेषण किया है केवल मात्र न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जाने का अंकन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में लिये गये समस्त कथन पक्षकारों की साक्ष्य के पश्चात् निर्णित किये जाने वाले तथ्य हैं। स्थगन आदेश की हद तक इन तथ्यों का कोई प्रभाव नहीं है। पत्रावली पर आये तथ्यों व दस्तावेजों के अनुसार मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को प्रश्नगत कृषि भूमि, रहन बैय व अन्तरित न करने से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक था। अप्रार्थीगण के मात्र रिकार्डेड खातेदार होना मानकर बिना वजह अस्थाई निषेधज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना कतई न्यायेचित नहीं होने का मत व्यक्त किया है जबकि अधीनस्थ न्यायलाय ने ऐसा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मत पारित करने से पूर्व इस तथ्य की और ध्यान नहीं दिया कि एक रिकार्डेड खातेदार विधि विरूद्ध से प्राप्त की हुई है जो शून्य दस्तावेजों के आधार पर हासिल की है जबकि समस्त दस्तावजें की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की हुई है। प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति की आरक्षित भूमि है जो भारतीय संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति का जीवन स्तर सुधारने हेतु आरक्षित है किसी व्यक्ति द्वारा धर्मपरितर्वन कर अनुसूचित जाति की आरक्षित भूमि को अपने नाम अन्तरित करवाने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि इनमिडिया है। प्रार्थीगण का जन्म से विवादित भूमि पर अपना अधिकार है जबकि अप्रार्थीगण शून्य दस्तावेजों से स्वामी हैं और वे विवादित भूमि का मध्यवर्ती लाभ उठा रहे हैं जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना–पत्र एवं अपील में वर्णित अनुतोष दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यूएलसी 2008 पेज 56, आरआरटी 2006 (1) पेज 386, डीएनजे एससी 2005 पेज 603, आरआरटी 2008 (1) पेज 211, आरआरटी 2008 (2) पेज 1187, आरआरडी 14.12.14 पेज 769 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्गनत बैयनामा 1970 का है इतने वर्ष बाद प्रार्थी वाद लाने का अधिकारी नहीं है। धारा 42 व धारा 175 की मियाद निकल चुकी है। अपीलाण्ट को प्रश्नगत बैयनामे की पहली से ही जानकारी है। आज मौका पर अप्रार्थीगण भूमि पर काबिज हैं तथा रिकार्डेडे खतोदार है भूमि बैंक के रहन भी है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है वह विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 871 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस में आये तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेण्ट द्वारा वर्ष 1970 में प्रश्नगत भूमि को खरीद किया है। प्रथम दृष्टया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. में कुल 2.0870 है0 के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं बतौर खातेदार कातश्कार वह भूमि पर काबिज है एवं एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसे असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन की रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है तथा रेस्पोडेण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा उसकी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़